न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या : 433/2018

GCMS No. : 2018/00316

–: अपीलान्ट :–

1. उगराराम पुत्र घीसाराम
2. भींयाराम फौत के कायम मुकाम
   2/1 दिलीप उर्फ राहुल उर्फ भूण्डिया
3. अमराराम फौत के कायम मुकाम
   3/1 राजु पुत्र अमराराम
   3/2 मोती पुत्र अमराराम
   3/3 संतोष पुत्री अमराराम
   जातियान माली निवासीगण– बलुन्दा, तहसील– जैतारण, जिला–पाली राज.।

बनाम

–: रेस्पोडेन्ट :–

1. भंवरू पुत्र भेराजी
2. ओमप्रकाश पुत्र अणदाजी
3. गोपाल पुत्र अणदाजी
4. पपली बेवा अणदाजी
5. शिवराम पुत्र कुनाजी
6. ढगलाराम पुत्र रावतजी
7. सोहनलाल पुत्र रावतजी
8. गलाराम पुत्र जसाजी
9. पारस पुत्र सुजाजी
10. भींयाराम पुत्र हीराजी
11. डुंगाराम पुत्र हीराजी
12. बाबुलाल पुत्र हीराजी
13. दुर्गाराम पुत्र लालाजी
14. धर्माराम पुत्र लालाजी
15. अशोक पुत्र मोहनलाल
16. जितेन्द्र पुत्र मोहनलाल
17. कंवराई पत्नि लालाराम
18. मोहनसिंह पुत्र हरदेव
19. जयसिंह पुत्र रावतराम
20. किशनसिंह पुत्र रावतराम
    जाति– माली, निवासीगण– ग्राम बलुन्दा
21. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, जैतारण तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (क)(घ) सपठित धारा 151,141 सी.पी.सी.

तारीख रजू 07/09/2018

उपस्थितः– 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, अप्रार्थी/ अपीलान्ट।
2. श्री तुलसाराम माली, ओमप्रकाश पंचारिया, चतराराम भाटी, जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.10.29 17:08:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 19/10/2020

वकील प्रार्थी/प्रतिवदीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी विरूद्ध वादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा जो प्रार्थनापत्र पेश किया गया है जिसके पद संख्या 1 व 2 में वर्णित खसरा नम्बर में अप्रार्थीगण को संयुक्त सहखातेदार होना स्वीकार किया है तथा राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहखातेदार है चूंकि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार अन्य खातेदार की भूमि से ही नया रास्ता बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने के लिये अदालत हाजा को अधिकृत किया है न कि सहखातेदार की भूमि से। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सहखातेदार के विरूद्ध प्रार्थनापत्र विधि अनुसार (बार्ड बाई लॉ) नहीं होनें से काबिल खारिज के हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के सहखातेदारी की भूमि में आज से करीब 50 वर्ष पूर्व मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण के बंट में ख0 नं0 965 आता है जिस पर प्रार्थीगण आज भी माफिक मौखिक बंटवाड़े के काबिज है जो मुख्य सड़क ख0 नं0 1012 लगता हुआ हैं जिससे प्रार्थीगण आसानी से अपने अपने खेतों में आते जाते है एवं काश्त से सम्बंधित सभी कार्य सम्पादित करते है। इसलिए नजरी नक्शे में बताये गये लाल स्याही मार्क ए से बी रास्ते की प्रार्थीगण को कोई आवश्यकता ही नहीं है न ही मौके पर ऐसा कोई रास्ता है प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता आसान रूप से उपलब्ध है। इस कारण प्राथीगण का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के है। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के पद संख्या 03 में अंकित किया है कि मौके पर जो रास्ता शुरू से लेकर आज तक विद्यमान है जो गलत है यदि इस तथ्य का मान भी लिया जावे तो सुखाधिकार का मामला होकर धारा 251(2) आर टी एक्ट के अनुसार सिविल कोर्ट को क्षेत्राधिकार होने से अदालत हाजा को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात् पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र विधि अनुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 (क)(घ) सपठित धारा 151,141 सी.पी. सी. का अप्रार्थी/अपीलान्ट ने जवाब प्रार्थना पेश किया है कि प्रार्थना पत्र पद संख्या 1 का जवाब यह है कि प्रार्थीगण ने जिन खसरा नम्बर की कृषि भूमि बाबत् अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए राजस्व रेकर्ड में रास्ते का इन्द्राज करवाने हेतू धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1951 के तहत पेश किया है जो किसी भी तरह बार्ड बाई लॉ नहीं है।

प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का जवाब है कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी के कृषि भूमि खसरा नम्बर 960 की भूमि में आने जाने के लिए रास्ते की कार्यवाही की है जिसके चिपते ही मुख्य सड़क खसरा नम्बर 1012 नही लगती है तथा प्रार्थीगण के पास विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्य अंकित किये है। प्रार्थीगण के द्वारा मूल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शे से भी साबित है कि प्रार्थीगण ने जहां रास्ता बताया है वही एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन गलत व पद संख्या 3 में यह कथन कि सिविल कोर्ट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.10.29 17:08:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्षेत्राधिकार होने से मूल प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावें, कतई गलत व नामंजूर है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ते के विवाद के संबंध में राजस्व न्यायालय को है जो किसी भी कानून के तहत बार्ड नहीं है। अप्रार्थी का प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावें।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया। अपील प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा सह खातेदारी आराजी में से रास्ता के लिए अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध धारा 251क के अंतर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। मूल प्रार्थना-पत्र के अप्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 07, नियम 11 क, घ, सपठित धारा 141 व 151 सि. प्र. स. प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि धारा 251क के अंतर्गत केवल एक खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से रास्ता प्रदान करनें के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है, न कि सहखातेदार के विरूद्ध। अतः यह प्रार्थना-पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि आदेश 07 नियम 11 की कार्यवाही केवल वादपत्रों के सम्बन्ध में ही लागू होती है जबकि विचाराधीन प्रकरण प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। हमनें सीपीसी की धारा 141 का अनुशीलन किया जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि **"उस प्रक्रिया का जो वादो के विषय में इस संहिता में उपबंधित है सिविल अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय में की सभी कार्यवाहीयों में वहां तक अनुसरण किया जाएगा जहां तक वह लागू कि जा सके।"**

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आदेश 07 नियम 11 की कार्यवाही वादपत्रों के साथ साथ अन्य प्रार्थनापत्रों / अपील के सम्बन्ध में भी समान रूप से लागू होती है।

हमनें प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के पद संख्या 01. में यह अंकित किया है कि "प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे-काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 960, 961, 963, 963/2333, 964, 1017 तथा 965 स्थित है।" इसी प्रकार पद संख्या 4 में अंकित किया है कि खसरा संख्या 1012 सड़क से उपर्युक्त खसरा संख्याओं की आराजी में से एक रास्ता मौके पर वर्षो से चलता रहा है, परंतु वह रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, अप्रार्थी उसे बार - बार बंद कर देते हैं, अतः नजरी नक्शे अनुसार उक्त संयुक्त भूमि में से रास्ता प्रदान किया जावें। हमनें धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में निहित विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया जो निम्नानुसार हैः- **"251क अन्य खातेदार की जोत से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना- (1) जहाँ (क) कोई अभिचारी, अपनी जोत की सिचांई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है; या (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग की विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और ऐसा पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिचारी या यथास्थिति, उनमें से अभिचारी**

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.10.29 17:08:30 IST
Reason: SelfAttested

ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जाँच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) वह आवश्यकता आत्यधिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।''

इस प्रकार यह विधिक आवश्यकता है कि इस धारा के अंतर्गत केवल खातेदार/सहखातेदारों का समूह अन्य खातेदार की आराजी से रास्ते की मांग कर सकते हैं। इस प्रकार धारा 251क एक सहखातेदार को अन्य सह–खातेदारों के विरूद्ध सहखातेदारी आराजी में से रास्ता मांगने के अधिकार से वर्जित करती है। इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा यह भी अंकित किया है कि जहाँ से रास्ता चाहा गया है वहाँ पहले से ही मौके पर कदीमी रास्ता चला आ रहा हैं, जिसे अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है। ऐसी दशा में प्रार्थी कदीमी रास्ते खुलवाने के लिए धारा 251 के अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, तथा न्यायालय हाजा को धारा 251 में विचारण की अधिकारिता नहीं हैं, अतः निष्कर्षतः हम प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए मूल प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251क को अस्वीकार करना विधिसंगत एवं उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थनापत्र प्रार्थी अंतर्गत आदेश 07, नियम 11 क, घ सपठित धारा 144 व 151 सि. प्र. सं बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251क विधि द्वारा वर्जित होनें एवं न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार बाह्य होनें से अस्वीकार करतें हुए खारिज किया जाता है। प्रकरण इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 19/10/2020 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.10.29 17:08:30 IST
Reason: SelfAttested